

जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित 17 बिन्दुओं की सूचना
अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।

1.परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें एक जनसूचना एंवं अधीनरथ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2.जनसूचना अधिकारी/कर्मचारी के अधिकारी तथा कर्तव्य— आवेदकों द्वारा मॉगी जाने वाली सूचनाओं को जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित करना एंवं अधीनरथ जनपदों से सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना।

सहायक जनसूचना अधिकारी की शक्तियां/कार्य— अपने शाखा से सम्बन्धित सूचना को जनसूचना अधिकारी को समय से उपलब्ध कराना व प्रत्येक प्रकरणों से जनसूचना अधिकारी परिक्षेत्रीय कार्यालय को नियत समय से पूर्व अवगत कराना व प्रस्तुत कराना।

3.प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको आमद रजिस्टर करना एंवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आन्तरित करना तथा सूचनायें प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4.निहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त करना व समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना होता है।

5.जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना / कराना।

6.दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है—

- : कार्यालय पूलिसमहानिदेशक, उ०प्र०० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- : शासन / मा० आयोग से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- : जोन कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- : अपीलीय प्रार्थना पत्र।

7.सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

8.सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

9.जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10.सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
14. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण शून्य है।
15. इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप उपलब्ध करायी गयी सूचना—उक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरूद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम—पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ कार्यालय में लोकसूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है :—

क्र० स०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री राजू	प्रधान लिपिक / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना को अपने अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना व जनसूचना अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—6(3)के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को आन्तरित करना
2	श्री राजीव यादव	रीडर / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना व समर्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
3	श्रीमती सुरभि तोमर	उ0नि0 / सहायक जनसूचना अधिकारी	जनसूचना अधिकारी को अपनी शाखा से सम्बन्धित सूचना समय से उपलब्ध कराना व समर्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना।
4	रीतू चौधरी	म0 आरक्षी	समर्त अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना , अनुस्मारक निर्गत करना एंव समर्त दस्तावेजों का अधतन करना।

17. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

जनसूचना अधिकारी
कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक
अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़।

पत्रसंख्या: सीओएएच—(ज0सू0प्र0वि0—01) / 2020
दिनांक: मई , 2021